न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2012 प्रा.पत्र / 2012	20.07.2012	09.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री सोहनलाल जैन निवासी ग्राम लावा तह0 मालपुरा प्रोपराईटर मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी ग्राम लावा तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0
2–मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी ग्राम लावा तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री औमप्रकाश जैन पुत्र मूलचन्द जैन सोल प्रोपराईटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर निवासी श्रीमालों की गली अरावली बैंक के पास मालपुरा जिला टोंक
4–मैसर्स पवन किराणा स्टोर निवासी श्रीमालों की गली अरावली बैंक के पास मालपुरा जिला टोंक
5–श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता बी–82 एल. एस. नगर नया खेडा अम्बाबाड़ी जयपुर राज0 प्रोपराईटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 137 ए सरना डूँगर ओद्योगिक क्षेत्र जयपुर राज0
6–मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 137 ए सरना डूँगर ओद्योगिक क्षेत्र जयपुर राज0

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार
2–श्री दिनेश कुमार शर्मा अप्रार्थीगण 5 व 6 की और से उपस्थित
3–श्री पवन कुमार जैन अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से
4–श्री जितेन्द्र कुमार जैन अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से

:–**निर्णय**–: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2011 को समय 12.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी ग्राम लावा तह0 मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री सोहनलाल जैन खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे कागज के 3 कार्टूनों में 1 लीटर पेक के लगभग 40 पेकेट **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** पैक अवस्था में रखा हुआ था, जिसे खोलकर देखने पर पाया कि उसमें 200–200 मिली लीटर के लगभग 48 प्लास्टिक के डिब्बे सील पेक रखे हुए थे जिसमें मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. विक्रता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री सम्पत कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के कार्टूनो मे 200–200 एम एल पेक डिब्बे/पैकेट **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 4 मूल पैक अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सम्पत कुमार जैन को रू0 320/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग–अलग चार भागो मे विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–112 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–112 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सम्पत कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री सम्पत कुमार जैन ने मौके पर **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** बतोर वारन्टी मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चोक बाजार मालपुरा का बिल क्रमांक 9517 दिनांक 22–10–2011 प्रस्तुत माल उस फर्म से खरीद करना बताया। विक्रेता मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चोक बाजार मालपुरा ने बतौर वारन्टी प्रोपराईटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 137 ए रीको औधोगिक क्षेत्र सरना डूँगर जयपुर निवासी ब–82 एल एस नगर नया खेडा अम्बा बाड़ी जयपुर राज0 का वारन्टी बिल संख्या 2301 दिनांक 01–04–2011 पेश किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4154 दिनांक 1–12–2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/82/एक्ट/2011/90 दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

13–11–2011 अनुसार मैसर्स सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री सोहनलाल जैन निवासी ग्राम लावा तह0 मालपुरा जिला टोंक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया। अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया गया तथा बहस की, बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मंथन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रर्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0